Babasaheb Bhimrao Ambedkar
Bihar University
Muzaffarpur (Bihar)-842001

{Website:-www.brabu.ac.in}

Ref. No..B/2575.....                                        Dated ..09/.06../2026

# अधिसूचना

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में निहित प्रावधानों के अद्यतन के प्रावधानों, संगत के परिनियमों एवं (नव-स्थापित राजकीय महाविद्यालयों को प्रदत्त संबद्धता की शर्तों) के आलोक में तथा महाविद्यालयों के वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय से नव-स्थापित राजकीय सभी महाविद्यालयों के बैंक खातों का संचालन प्राचार्य (Principal) एवं बर्सर (Bursar) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

अतः निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं—

1. महाविद्यालय के नाम से संचालित सभी बैंक खातों (Saving/Current Accounts) का संचालन प्राचार्य एवं बर्सर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

2. महाविद्यालय के किसी भी बैंक खाते से धनराशि की निकासी, भुगतान, अंतरण (Transfer), चेक निर्गमन अथवा अन्य किसी वित्तीय लेन-देन हेतु प्राचार्य एवं बर्सर दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

3. छात्र शुल्क, परीक्षा शुल्क, संबद्धता शुल्क, सरकारी अथवा गैर-सरकारी अनुदान, दान, विश्वविद्यालय अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि सहित महाविद्यालय की समस्त प्राप्तियां केवल ऐसे बैंक खाते में जमा की जाएंगी जिनका संचालन प्राचार्य एवं वर्सर संयुक्त रूप से करते हों।

4. संबंधित महाविद्यालय की शासी निकाय/प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित कर उसकी सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगी।

5. सभी नव- स्थापित राजकीय महाविद्यालय इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से 05 (पांच) दिनों के भीतर बैंक खाते के संचालन संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

6. बैंक द्वारा अनुमोदित संयुक्त संचालन (Joint Mandate), बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट की प्रति तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कुलसचिव कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. विश्वविद्यालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर महाविद्यालय को बैंक अभिलेख, लेखा-पुस्तकें एवं अन्य वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

8. इस अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अथवा अनुपालन में शिथिलता को अधिनियम / परिनियम में उल्लेखित निदेशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा विश्वविद्यालय आवश्यक प्रशासनिक/वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

अतः सभी नव-स्थापित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, बर्सर को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश का बिहार वित्तीय नियमावली, एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

**माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार।**

ह०/-
कुलसचिव

पत्रांक -B/2575    दिनांक-09/06/2026

प्रतिलिपि:- सभी नव- स्थापित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य / अर्थपाल / बर्सर / वित्त पदाधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / प्रभारी, विश्वविद्यालय आई०टी सेल / कुलपति के निजी सहायक / कुलसचिव के निजी सहायक, बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ व् आवश्यक कार्यार्थ।

9/6/26

(प्रो. समीर कुमार शर्मा)
कुलसचिव
बी०आर०अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

Scanned with OKEN Scanner